30/12/223 पीरया **बनाम** कान्ता वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2012100056 SA-8 R7 [illegible] श्री [illegible] वगै. श्री दीपक दाधीच [illegible]	

पीरया बनाम श्रीमती कान्ता वगैरह

11.7.2019 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 उपस्थित।

पत्रावली में दिनांक 27.06.2019 को अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश किया तथा साथ ही अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 की ओर से राजीनामा पेश किया, जिस पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायायल ने प्रतिवादी संख्या 01 श्योराम ने वादी से दिनांक 18.05.2005 को राजीनामा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2080/2, 2081, 2461 कुल किता 3 कुल रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा वाकै ग्राम दूदू तहसील दूदू में वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है एवं पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 पैतृक सम्पति थी जिसका पर्चा वरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व वादी के बडे भाई स्व.सुवा कर्ता खानदान होने के कारण अकेले अपने नाम लगवा लिया, परन्तु उक्त आराजीयात पर दोनो भाई वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता काबिज काश्त रहे है तथा अब उसके मरने के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2–1/2 हिस्से अनुसार डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे। उक्त राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका था जिससे पक्षकारान के वारिसान भी पाबंद है, फिर भी उक्त अपील में आज दिनांक 27.06.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 द्वारा अपीलांट के पक्ष में राजीनामा हाजिर अदालत होकर पेश किया गया है। उक्त राजीनामा को स्वीकार कर उक्त विवादित आराजीयात में 1/2 हिस्से की डिक्री घोषणा वादी के पक्ष में करने से रेस्पोडेन्टस को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त वाद की विवादित आराजी की 1/2 हिस्सा की डिक्री अपीलांट/वादी के पक्ष में करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत राजीनाम के साथ सलंग्न रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 से श्री दीपक दाधीच एड़वोकेट ने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 दोनो पक्ष उपस्थित होकर उक्त राजीनामा को स्वीकार कर रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 को अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नही है। इसलिए अपील अपीलांट राजीनामा के अनुसार स्वीकार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदे। [illegible]

इ
3011121223

पीरया

बनाम कान्हा वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	2012/00056 श्री उरयसिंह श्री दीपक शर्मा	

लगातार

प्रार्थना पत्र व राजीनामा पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामें में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा घोषित करने बाबत् प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकित 24.05.2005 के अनुसार अपीलाधीन भूमि में से खसरा नम्बर 2461 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 संजीव गोयल पुत्र गोपालदास गुप्ता को कब्जा देते हुए श्योराज पुत्र सुवा जाति कुम्हार द्वारा जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता है के द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है।

धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त हंस्तातरित भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 के हक अधिकार न होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 07 के हक अधिकार जाहिर होते है परन्तु प्रस्तुत राजीनामें में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार बरूह राजीनामा होना चाहते है, जो कि पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध होने के कारण विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः राजीनामा दिनांकित 27.06.2019 अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलाधीन भूमि में आवश्यक पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के तहत् स्वच्छा से पक्षकार संयोजित कर निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु अपीलार्थी स्वंय द्वारा हस्तगत अपील में उसकी स्वंय की बहने राजा, घीसी व किशनी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार नहीं बनाया गया आवश्यक पक्षकारों के अभाव में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना विधि संगत नही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय दिनांक 28.03.2012 निरस्त किया जाता है एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है उपरोक्तानुसार विवेचन कर आवश्यक पक्षकारों को वादी के आवेदन पर संयोजित कर साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

(हस्ताक्षर)
11/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर कैम्प दूदू